



Neutral Citation No. - 2026:AHC:39097

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2378 वर्ष 2026

महेंद्र कुमार दुबे (शाखा पोस्ट मास्टर)

.....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता : आकाश मिश्रा, दिनेश पाठक

प्रत्यर्थीगण की ओर से अधिवक्ता : ए.एस.जी.आई., देवेंद्र नारायण

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश पाठक तथा प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री देवेंद्र नारायण को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि याचिकाकर्ता के पास वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत वह डाक विभाग के विरुद्ध राहत प्राप्त करने हेतु अधिकरण के समक्ष जा सकता है, क्योंकि याचिकाकर्ता शाखा डाकपाल के पद पर कार्यरत है।
3. प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 19(वी) के प्रावधानों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ल. चन्द्र कुमार बनाम भारत संघ एवं अन्य, ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 1125 में प्रतिपादित विधि के आलोक में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उक्त विधिक स्थिति का खंडन नहीं कर सके।
4. तदनुसार, इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप से इंकार किया जाता है तथा रिट याचिका का निस्तारण इस स्वतंत्रता के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता उपयुक्त राहत हेतु केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का अभिगमन कर सकता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



दिनांक: 18 फरवरी, 2026

ऐमन

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”